कांग्रेस तीन चरणों में बांट सकती है बंगाल के टिकट

उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तीन अलग-अलग चरणों में संभव

कोलकाता। कोलंबो, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) की सिफारिशों के आधार पर पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनावों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तीन अलग-अलग चरणों में कर सकती है।

डीपीसीसी के एक अंदरूनी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहली सूची में लगभग 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार पहली सूची के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ चर्चा करने हेतु आज शाम ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहली सूची में पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से पांच बार लोकसभा सदस्य रहे अधीर रंजन चौधरी जैसे नाम शामिल हो सकते हैं।

मौसम बेनर्जीर नूर का नाम भी सूची में संभव : 100 उम्मीदवारों की इस पहली सूची में कांग्रेस की पूर्व लोकसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य मौसम बेनर्जीर नूर का नाम भी शामिल हो सकता है, जिन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई थीं।

हजारों गोरखाओं के नाम सूची से बाहर, बड़े आंदोलन की चेतावनी

पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में इस मुद्दे पर भारी असंतोष

नवभारत ब्यूरो। कोलकाता।

पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में यह गंभीर आरोप सामने आया है कि एक महत्वपूर्ण सूची से हजारों गोरखा समुदाय के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व ने कड़ा रोष व्यक्त किया है और बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। विशेष रूप से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भारी असंतोष और अनिश्चितता का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपनाम संबंधी विसंगतियों या अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर इन नामों को सूची से बाहर रखा गया है। सूची से बाहर किए गए लोगों में एक बड़ी संख्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की है।

सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन फंसने का दावा : स्थानीय नेताओं का दावा है कि इस सूची में नाम न होने के कारण इन सेवानिवृत्त कर्मियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से सिनकोना बागान जैसे दूरदराज के क्षेत्रों के श्रमिकों और कर्मचारियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्गों के नाम भी हटा दिए गए हैं, जिससे उनमें भय का माहौल है। कालिम्पोंग में आयोजित एक जनसभा के दौरान स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का भेदभाव किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इन नामों को पुनः सम्मिलित नहीं किया गया, तो संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

पहाड़ियों की राजनीति में असर डाल सकता है मुद्दा : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा पहाड़ियों की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ ले सकता है। गोरखा अस्मिता और अधिकारों के सवाल पर आम नागरिक एक बार फिर संगठित होते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, परंतु स्थानीय निवासियों में व्याप्त आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

शाह के के आरवासन से नहीं सुलझा जंगलमहल का गतिरोध

परिचम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच जंगलमहल की राजनीति में कुड़मी आंदोलन एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कुड़मी समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बावजूद, समुदाय के भीतर असंतोष कम होता नहीं दिख रहा है। आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार और मुख्य सलाहकार अजीत प्रसाद महतो ने स्पष्ट किया है कि वे गृहमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इस बयान ने जंगलमहल के जिलों में चुनावी समीकरणों को अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। कुड़मी समुदाय की लंबे समय से यह मांग रही है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल किया जाए। इस असंतोष का सीधा प्रभाव पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों के चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। चुनाव से ठीक पहले कुड़मी समाज का यह कड़ा रुख सत्ताधारी और विपक्षी, दोनों खेमों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

न्यूज डायरी

केंद्र का किसानों से ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह

नई दिल्ली।ए। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों से पीएम-किसान पोर्टल पर अपने विवरण को सत्यापित करने और जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह किया। यह आग्रह 13 मार्च को 18,640 करोड़ रुपए की 22वीं किस्त जारी होने से पहले किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 9.32 करोड़ पंजीकृत किसानों के खातों में यह राशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसानों, विशेष रूप से असम के किसानों से अपील की है कि वे पीएम-किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी की स्थिति की जांच करें।

राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की शुरूआत 14 मार्च से

जयपुर। ए। इस साल भी राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा और इसके कार्यक्रमों की शुरूआत 14 मार्च से होगी। राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह 19 मार्च को जालोर में आयोजित होगा और लाभार्थी सम्मेलन में लाभार्थियों के साथ संवाद व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। शाम को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पिछले वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाने की शुरूआत की गई थी, इसी क्रम में इस बार भी राज्य सरकार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (19 मार्च) को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम एवं आयोजन करेगी।

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज शाह बोले- विपक्ष ने किया लोकतंत्र पर हमला

गृह मंत्री ने राहुल पर साधा निशाना, कहा-आंखें मटकाने वाले न उठाएं निष्पक्षता पर सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी। नई दिल्ली।

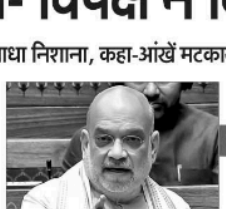

लोकसभा में चर्चा का जवाब देते अमित शाह।

■ कहा, जो नियम नहीं मानेगा, उसका माइक भी बंद होगा, सदन से बाहर भी किया जाएगा

सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर रहते हैं राहुल

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव दो दिन की चर्चा के बाद बुधवार को ध्वनिमत से खारिज हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव को लोकतंत्र पर हमला और एक व्यक्ति की अहंकार को प्रश्रय देने वाला करार देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा व तीखा हमला बोला।

चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने सत्र के दौरान राहुल की विदेश यात्राओं, सदन में लगातार अनुपस्थिति और महत्वपूर्ण विधेयकों पर हुई चर्चा से दूरी बनाने पर सवाल उठाए। शाह ने कहा, सदन के अंदर आंख मटकाने वाले सदस्य को स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। गृह मंत्री ने राहुल को अपने आचरण की समीक्षा करने की नसीहत भी दी। कहा, या तो राहुल बोलना नहीं चाहते या फिर उन्हें बोलना नहीं आता। वर्तमान स्पीकर के कार्यकाल में चाहे प्रश्नकाल हो या शून्यकाल या विधेयकों पर चर्चा का विषय, सभी मामले में उन्होंने सत्तापक्ष पर विपक्ष को तरजीह दी है। सवाल यह है कि सदन पूर्व में तय किए गए नियमों और परंपराओं से चलेगा या बतौर सांसद विले अधिकार को विशेषाधिकार समझ लेने की जिद से। सदन नियमों से चलेगा। वे नियम भाजपा ने नहीं बनाए हैं। जो नियम नहीं मानेगा, आसन अधिकार के तहत उसे टोकेगा, असंसदीय टिप्पणियों को कार्यवाही से बाहर करेगा। उसका माइक भी बंद किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो नियमों, परंपराओं, मर्यादाओं की रक्षा के लिए सदन से बाहर करने का फैसला लेगा।

रहेंगे तभी तो बोलेंगे

शाह ने कहा, 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति औसत 76% की तुलना में 43%, 16वीं लोकसभा में 80% की तुलना में 52%, 17वीं लोकसभा में 66% की तुलना में महज 51% रही। सवाल यह है कि राहुल सदन में रहेंगे तभी तो बोलेंगे।

■ **अपने आचरण की कब करेंगे समीक्षा :** शाह ने कहा, आसन के आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस व उसके नेता प्रतिपक्ष अपने आचरण की समीक्षा कब करेंगे। आसन पर अपमानजनक टिप्पणी, पीएम से जबरदस्ती गले लगा जाना, आंखें मटकाना, फ्लाइंग किस करना कौन सा आचरण है?

शाह ने कहा, 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति औसत 76% की तुलना में 43%, 16वीं लोकसभा में 80% की तुलना में 52%, 17वीं लोकसभा में 66% की तुलना में महज 51% रही।

शाह ने कहा, राहुल बजट सत्र के दौरान विदेश में रहते हैं। बीते साल शीतकालीन सत्र में जर्मनी में थे। उसी साल बजट सत्र में बिवतनाम, 2023 के बजट सत्र में ईरान, 2018 के बजट सत्र में सिंगापुर और इससे पहले भी विदेश में थे। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान एक भी अहम विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, आरक्षण की अवधि बढ़ाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक, वक्फ विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद नहीं बोलने देने का आरोप को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? शाह ने कहा, वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा में हिस्सा लेने का प्रावधान नहीं है, नहीं तो उनके लिए इसकी भी व्यवस्था कर दी जाती।

ब्रेन-डेड' घोषित महिला सड़क पर 'गड्ढे के झटके' से हुई ठीक'

'पीलीभीत की घटना, डॉक्टर बोले : इलाज से ठीक हुई

पीलीभीत (उप्र)। ए। पीलीभीत जिले में 'ब्रेन-डेड' घोषित की गई 50 वर्षीय एक महिला को एंबुलेंस से घर ले जाते वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गड्ढे से लगे झटके से 'नया जीवन' मिल गया और दोबारा इलाज होने के बाद आखिरकार वह ठीक हो गई। उसके परिजनों ने यह दावा किया है। परिजन के मुताबिक इलाज से कोई फायदा नहीं हो पाने से मायूस होकर जब वे महिला को अपने घर ला रहे थे तभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर हाफिजगंज के पास उसे लेकर आ रही एंबुलेंस सड़क पर एक गड्ढे से गुजरी जिससे लगे झटके से उसकी सांसें सामान्य हो गयीं। हालांकि, बाद में महिला का इलाज करने वाले एक चिकित्सक ने कहा कि महिला का ठीक हो जाना कोई भगवान का चमत्कार नहीं था, बल्कि किसी जहरीले कीड़े या सांप के काटने के शक के आधार पर किए गए

इलाज का नतीजा था।न्यूरोसिर्जी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जब महिला को उनके पास लाया गया तो वह पूरी तरह बेहोश थी लेकिन उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। परिजन के मुताबिक पीलीभीत की एक अदालत में वरिष्ठ सहायक के तौर पर कार्यरत विनीता शुक्ला (50) पिछले महीने 22 फरवरी को घर का काम करते समय बेहोश हो गई थीं।

GOVT OF MAHARASHTRA
Public work Division Chhatrapati Sambhajinagar
E-Tender Notice No. 473 - 2025-2026

Online tender (e-tenders) for following works are invited by the Executive Engineer Public Works Division Chhatrapati Sambhajinagar (Ph- 0240-2331174) in "B-1" & "B-2" Tender (on-line) for (02) works in Chhatrapati Sambhajinagar Dist. The contractor Registered with the Public work department / company / form / in appropriate class shall be issued by the Executive Engineer public Works Division Chhatrapati Sambhajinagar

1. All the deails regarding e-tenders procedure and tender documents are available on e-tenders portal of PWD department of Government of Maharashtra https://mahatenders.gov.in and https://pwd.maharashtra.gov.in
2. In case any changes in the Tenders / Tenders Notice, the same shall be informed through the above mentioned web Portals.
3. All the right accept or reject the tenders are reserved with Executive Engineer public Works Division Chhatrapati Sambhajinagar Conditional tenders tenders shall be summarily rejected.

Executive Engineer
Public Work Division
Chhatrapati Sambhajinagar

DGIPR/2025-26/6484

आबकारी मामले को 'निष्पक्ष' पीठ को भेजने की केजरीवाल की मांग

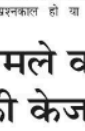

नई दिल्ली। ए। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और आबकारी नीति मामले में अन्य आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे इस मामले को न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। पार्टी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं ने मामले को उच्च न्यायालय की ''निष्पक्ष'' पीठ के समक्ष स्थानांतरित करने की मांग की है। बयान के अनुसार, केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए एक अभ्यावेदन में न्यायमूर्ति शर्मा पर ''पक्षपात'' करने का आरोप लगाया है।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को हाल ही में सीबीआई अदालत ने आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त किया था।

राहुल के 'गोमूत्र' संबंधी बयान पर भाजपा का हमला

नई दिल्ली। ए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में गोमूत्र संबंधी हालिया बयान को लेकर उनपर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आरोप लगाया कि वह (गांधी) 'इस्लामिक कट्टरपंथियों की भाषा दोहरा रहे हैं, जो हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने के लिए 'गोमूत्र' को लेकर तंज कसते हैं। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनका एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में नेता प्रतिपक्ष यह कहते नजर आ रहे हैं कि देश में राजनीतिक चर्चा का केंद्र डेटा से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, न कि इस बात पर बहस कि 'हमें क्या खाना या पीना चाहिए' या 'क्या गोमूत्र आपके लिए अच्छा है या नहीं'।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख, हटाया गया मंच

बंगाल ब्यूरो। कोलकाता। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) ने एक कड़ा निर्देश जारी किया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, रैली के लिए पहले से तैयार किए जा रहे मुख्य मंच के ढांचे को पूरी तरह से खोलने का आदेश दिया गया है। एसपीजी अधिकारियों का कहना है कि वे मंच के नीचे की मिट्टी और भूगर्भीय सुरक्षा की गहन जांच करना चाहते हैं, जिसके लिए मंच के वर्तमान ढांचे को हटाया जाना अनिवार्य है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार दोपहर एसपीजी के एक दल ने भव्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

शिथुरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी/का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तारिखों के अनुसार "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अनुसरण 60 दिन का नोटिस मिल गया था (नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/ गारन्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं करते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। द्विभाषण नोटिस की तामील न होने के कारण नोटिस को प्रकाशित बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार राशि भविष्य का ब्याज, खर्चों में होने वाला खर्च जमा करायें अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचित के अनुसार सांकेतिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी का ऋण राशि की वसूली करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
भूपेन्द्र कुमार साहू, सविता साहू खाता सं. 24121730415161 6	7 मार्च 2026 ₹ 2628913/- 6 मार्च 2026	वेंक मौजा, चमुदि, खसरा नं. 84/4-आर.एन.एम. पमगड गांव चकुदि पी.एम. ने. 15-17, जांजगीर सख्या तहसील पमगड, गांव चकुदि, छत्तीसगढ़-495554 / क्षेत्रफल 162.08 वर्ग फीटर

स्थान : छत्तीसगढ़ दिनांक 12.03.2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालय: प्रथम तल, कुशल वाटिका, नई शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)-492007

लाकर तोड़ने हेतु सार्वजनिक सूचना

सं. क्र.	राज्य	नाम	पता	लॉकर नं.	लॉकर बकाया
1)	रायपुर मेन	सुदामा सिंह	सी-2, सेल्स टैक्स कॉलोनी, खमारडीह, रायपुर	182	रु.14799/-
2)	रायपुर मेन	प्रतिभा बोपचा	पति स्व. जिवनलाअण, 31 बी, वल्लभ सोसाइटी, रिंग रोड, डीएकओ कार्यालय के पास, रायपुर	148	रु. 14947/-
3)	रायपुर मेन	दीना सिंह	सी-2, सेल्स टैक्स कॉलोनी, खमारडीह, रायपुर	230	रु. 12734/-

उपरोक्त नामित लॉकर धारकों ने बैंक को लॉकर किराया भुगतान करने में असफलता एवं लापरवाही बरती है तथा लंबे समय से लॉकर का संचालन नहीं किया है। अतएव, बैंक द्वारा समय-समय पर उन्हें लॉकर किराया भुगतान करने/लॉकर का संचालन करने अथवा लॉकर सुविधा बंद करने हेतु कई नोटिस जारी किए गए, जिनके उत्तर हेतु मेरिकिया प्राप्त किया गया अथवा अस्वीकृति होकर वापस प्राप्त हुए। अतः अंतिम अवसर के रूप में यह नोटिस दिया जाता है कि यदि उपरोक्त व्यक्ति दिनांक 22.03.2026 तक बैंक को लॉकर किराये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं/लॉकर का संचालन नहीं करते हैं, तो बैंक बैंकिंग कानून एवं प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 30.03.2026 को दोपहर 1.00 बजे लॉकर धारक के जोखिम एवं जिम्मेदारी पर लॉकर का ताला तोड़कर उसे खोल देगा तथा लॉकर में उपलब्ध सामग्री (यदि कोई हो) की सूची तैयार करके उसे बैंक की अभिरक्षा में रखेगा, जब तक कि बकाया किराया, ब्याज, व्यय, शुल्क आदि का भुगतान बैंक को नहीं कर दिया जाता। बैंक की यह अधिकार होगा कि लॉकर में प्राप्त नकद राशि (यदि कोई हो) को उपरोक्त व्यक्तियों की बैंक के प्रति बकाया देनदारियों के समायोजन हेतु उपयोग में ले सके, और इसे बैंक की ओर से निश्चित निर्वहन माना जाएगा तथा इसके संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लॉकर किराये की शेष बकाया राशि की वसूली हेतु बैंक अपने देयों की वसूली के लिए लॉकर धारक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक: 12.03.2026, स्थान- रायपुर हस्ता./- मुख्य प्रबंधक

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक अस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

मांग सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि उन्होंने बैंक से जो ऋण लिया है उसके मूलधन और ब्याज के पूर्नभुगतान में चूक की है जिस कारण उनका खाता अनर्जक आस्ति (NPA) में परिवर्तित हो गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम (SARFAESI ACT) 2002 की धारा 13(2) के तहत इन सभी को उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। अब उन्हें सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

ऋणि का नाम व पता	मांग नोटिस की तिथि एन.पी.ए. की तिथि	बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण / लागू होने वाली सुरक्षित सम्पत्ति का पता
उधारकर्ता- श्रीमती रेखा केडिया पति श्री दीपक केडिया, पता:- एफ-103 ऋषभ एन्क्लेव, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छ.ग.), सह-उधारकर्ता- श्री दीपक केडिया पिता श्री कमल कुमार केडिया, पता:- ए-203 गोकुल रेजीडेंसी, श्याम नगर, रेलवीथा, रायपुर (छ.ग.)	24.02.2026 22.06.2022	रू. 34,40,549.71 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 31/01/2026 से प्रभावी	फ्लैट नंबर एफ-103,प्रथम मंजिल, ब्लॉक एफ "ऋषभ एन्क्लेव", ए.हे. नंबर 114, डी. राजेंद्र प्रसाद, वार्ड नंबर 46, टिकरापारा, आरआईटी रायपुर-1 (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 1055 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री दीपक केडिया एवं श्रीमती रेखा केडिया। सेल डीड दिनांक 04-04-2005, पुस्तक क्रमांक - एन, ब्लाक क्रमांक 31332, संख्या क्रमांक 119, पृष्ठ 78-82, उप-पंजीयक कार्यालय, रायपुर के अंतर्गत पंजीकृत।

इन्हें सूचित करने के लिये अन्य वैकल्पिक माध्यमों के द्वारा प्रयास किये जा रहे है। उधारकर्ता, सह- उधारकर्ता और/या उनके जमानतदारों (जहाँ लागू हो) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपनी बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के पश्चात वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम (SARFAESI ACT) 2002 की धारा 13(4) के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रतिभूत आस्ति के भोगन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 12.03.2026, स्थान- रायपुर प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

राहुल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली

प्रयागराज। ए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2025 में कथित विवादित टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी और अगली तिथि 25 मार्च तय की। याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति समित गोयल ने सुनवाई टाल दी और अगली तिथि 25 मार्च तय की।

Tender Notice

BAIF Institute for Sustainable Livelihoods and Development
Invites sealed quotations from reputed vendors for "Excavation & RCC well Construction" in Korba Block, Korba district, Chhattisgarh. Refer www.baif.org.in & www.baifodisha.org for details.
Plot no.: 1565/2682, At Bhatra PO. Dhanupali, Sambalpur Odisha-768005
Telephone: +91-7894418530

pnb पंजाब नैशनल बैंक आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 30.03.2026
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पूर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-नितामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है।
इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की बिक्रय "जहाँ है जैसा है" "जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमों में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारों से वसूली के लिए किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य तथा ध्रोहर राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समक्ष दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

क्र.	स्वामाधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक पत्र/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1)13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) कब्जा तिथि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / डीमाडी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	उधारकर्ता- श्री राजेश आहूजा, श्री रमेश आहूजा, श्री विकास आहूजा, श्रीमती सुशीला आहूजा, श्रीमती प्रिया आहूजा एवं श्रीमती सोन्या आहूजा, शाखा: अनुपम नगर, रायपुर, 296600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	आवासीय मकान- मकान नंबर- एमआईजी-बी.60, कविता नगर, शंकर नगर, ए.हे. नंबर-113, कविता गृह निर्माण समिति, महर्षि बाल्मीकि वार्ड क्रमांक 28, खसरा नंबर 326 का भाग, मौजा-तेलीबांधा, रायपुर में क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती सुशीला आहूजा, श्री रमेश आहूजा पुत्र श्री विनोद आहूजा, सीमाएं: उत्तर: रास्ता, दक्षिण: पडोसी मकान नंबर एमआईजी-बी/70, पूर्व: मकान नंबर एमआईजी सी/90, पश्चिम: सड़क, भौगोलिक निर्देशांक: 21.14333, 81.40162	1) 17.08.2019 2) रू 1,24,33,368.00 + दिनांक 01.08.2019 से ब्याज प्रभावी 3) 03.07.23 को भौतिक कब्जा	रू 100.30 लाख रू 10.03 लाख
2	उधारकर्ता- मेसर्स ब्राइटेन बिल्डर्सान, पार्टनर्स- श्री राम कुमार साहू, श्रीमती छाया साहू, श्री मिलन साहू एवं श्री मधुर साहू, शाखा- फूल चौक, रायपुर, 324600. संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री धनंजय कुमार, 9729791068	संपत्ति क्रमांक 1) खसरा नंबर 551/26, 551/33, 594/1, 594/2ka, 594/2kha, 594/2ga, 595 एवं 596/2 पीएम नंबर 9, आरएनएम - कोरबा तहसील एवं जिला - कोरबा में कुल भूमि क्षेत्र 1.79 एकड़, (उन इकाइयों को प्रोक्सर एवं बाद में अनुमति दी) पर स्थित अचल संपत्ति (रिफाईनरी प्लांट) मालिकाना हक एवं बंधककर्ता - मेसर्स ब्राइटेन बिल्डर्सान, पार्टनर्स - श्री राम कुमारसाहू, श्रीमती छाया साहू, श्री मिलन साहू एवं श्री मधुर साहू	1) 22.06.2022 2) रू 13,93,30,671.51 + दिनांक 31.07.2020 से ब्याज प्रभावी 3) 21.01.25 को भौतिक कब्जा	रू 4465.00 लाख रू 446.50 लाख
		संपत्ति क्रमांक -2) (अ) अचल संपत्ति का विवरण खसरा नंबर 624/2 (पुराना खसरा 624) के लिए -मौजा गांव -कोरबा, पीएम नंबर 09/04, आरएन एम-कोरबा, वार्ड नंबर 2, साकेत नगर, तहसील एम जिला - कोरबा में क्षेत्र - 15260 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति। सीमाएं - उत्तर : पटेल एवं अन्यो की भूमि, दक्षिण : अभय गुप्ता की भूमि, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: चंदानी की भूमि (ब) अचल संपत्ति का विवरण खसरा नंबर 624/1 (पुराना खसरा 624) के लिए -मौजा गांव -कोरबा, पीएम नं. 09/04, आरएनएम- कोरबा, वार्ड नंबर 2, साकेत नगर, तहसील एम जिला - कोरबा में क्षेत्र - 10028 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति। सीमाएं - उत्तर : पटेल एम अन्यो की भूमि, दक्षिण: अभय गुप्ता की भूमि, पूर्व: विनोद कुमार की भूमि, पश्चिम: विक्रेता की शेष भू